बिहार के मतदाता सूची संशोधन: संवैधानिक अतिक्रमण या चुनावी सुरक्षा? कानूनी, लोकतांत्रिक, और शासन संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण

- UPSC संदर्भ - GS पेपर 2 – चुनाव सुधार, संवैधानिक निकाय, नागरिकों के अधिकार, चुनाव आयोग। निबंध पेपर – लोकतंत्र, नियम का शासन, समावेशी शासन।

1. चर्चा में क्यों?

- 24 जून, 2025 को भारत के चुनाव आयोग ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव (नवंबर 2025) से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) की शुरुआत की।

- इस कदम से विपक्षी दलों, नागरिक समाज और कानूनी विशेषज्ञों में व्यापक चिंता उत्पन्न हो गई है, जो आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि इससे हजारों मतदाताओं का मताधिकार छिन सकता है।
- चुनाव आयोग का कहना है कि यह एक सामान्य सत्यापन प्रक्रिया है। हालांकि, इस कदम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं अब भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं।

2. पृष्ठभूमि

- **2.1 भारत के संवैधानिक ढांचे में सार्वभौमिक मताधिकार**
- भारत का लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है, जो संविधान के अनुच्छेद 326 द्वारा सुनिश्चित किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में वोट करने का अधिकार है।

- मतदाता सूची के लिए कानूनी ढांचा "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950" और "जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951" द्वारा प्रदान किया गया है।

2.2 विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) क्या है?

- SIR का मतलब है चुनावी सूची का गहन अपडेट, जो आमतौर पर सीमित क्षेत्रों में किया जाता है, ताकि सही जानकारी सुनिश्चित की जा सके।
- ऐतिहासिक रूप से, इन संशोधनों को निम्नलिखित आधार पर किया गया है:
- पारदर्शी,
- समय-समय पर,
- सामान्यत: उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित, और
- निर्वाचन क्षेत्रों या निर्वाचन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में लागू किए गए, न कि पूरे राज्यों में।

2.3 पूर्व उदाहरण: असम NRC

- असम का NRC (2013–2019) एक बड़े पैमाने पर नागरिकता की सत्यापन प्रक्रिया थी।
- इस पर सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी थी।
- इसे पूरा करने में 6 साल का समय लगा।
- लगभग 20 लाख लोग बाहर किए गए।
- बिहार का SIR इससे कहीं अधिक अचानक और अनुचित समय पर किया गया है, जिससे इसे असम NRC के कठिन अनुभव से जोड़ा जा रहा है।

3. बिहार के चुनावी सूची संशोधन के प्रमुख मुद्दे

3.1 अचानक कार्यान्वयन और समय

- SIR को बिना उचित सार्वजनिक सूचना के, मानसून सीजन के दौरान घोषित किया गया, जब:
- बिहार के बड़े हिस्से में बाढ़ आती है।
- श्रमिकों का मौसमी प्रवास चरम पर होता है।

3.2 दस्तावेजी चुनौतियां

- चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेज जो सामान्यत: उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे:
- जन्म प्रमाणपत्र,
- मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र,
- भूमि/घर के मालिकाना दस्तावेज,
- जाति प्रमाणपत्र,
- पासपोर्ट।
- आम दस्तावेज जैसे आधार, मतदाता कार्ड, राशन कार्ड, और ड्राइविंग लाइसेंस को खारिज किया जा रहा है।
- गरीब, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाली समुदायों के पास आमतौर पर ये दस्तावेज नहीं होते हैं।

3.3 प्रवासी जोखिम

- बिहार में काम और शिक्षा के लिए उच्च दर पर प्रवास होता है।
- जो प्रवासी अस्थायी रूप से राज्य के बाहर रहते हैं, उन्हें गलत तरीके से अयोग्य ठहराया जा सकता है, क्योंकि कानून के अनुसार, उन्हें "सामान्य निवासी" माना जाता है यदि वे बिहार को अपना स्थायी घर मानते हैं।

3.4 संभावित मताधिकार से वंचना

- बिहार की एक बड़ी आबादी — जिसमें दलित, आदिवासी, मुस्लिम और गरीब ग्रामीण घराने शामिल हैं — अपने मतदान अधिकारों से वंचित होने के खतरे में है।

- ***4. कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण: क्या चुनाव आयोग के पास असीमित शक्ति है?***

4.1 अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियां

- अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने की शक्ति प्रदान करता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने "शक्ति का भंडार" कहा है।
- हालाँकि, मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया की चुनाव आयोग को हमेशा कानून के अनुसार कार्य करना चाहिए। वह अपने विवेक का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब कोई कानूनी शून्यता हो।

4.2 प्रतिनिधित्व का जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1950 के संबंधित प्रावधान

- धारा 19: मतदाता पंजीकरण के लिए शर्तें:
- 1. भारतीय नागरिक होना चाहिए और 18 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए।
- 2. उस निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य निवासी होना चाहिए।
- धारा 20: यह स्पष्ट करती है कि:
- 1. संपत्ति का स्वामित्व सामान्य निवासी बनने के लिए आवश्यक नहीं है।
- 2. अस्थायी अनुपस्थिति (जैसे काम या शिक्षा के लिए) से सामान्य निवास रद्द नहीं होता है।
- धारा 21: चुनावी सूची के संशोधन के चार प्रकार प्रदान करती है:
- 1. सामान्य चुनावों से पहले।
- 2. उपचुनावों से पहले।
- 3. चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित वार्षिक संशोधन (योग्य तिथि: 1 जनवरी)।
- 4. किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी हिस्से के लिए विशेष संशोधन, उचित कारणों के लिए।
- मुख्य मुद्दा: बिहार का SIR पूरे राज्य को कवर करता है, केवल एक हिस्से को नहीं, और 1 जुलाई 2025 को योग्यता तिथि के रूप में उपयोग कर रहा है, जो कानूनी रूप से वैध नहीं है। कानून के अनुसार, योग्यता तिथि 1 जनवरी 2025 होनी चाहिए।

4.3 ECI की कानूनी आधार में त्रुटियां

- "विशेष गहन पुनरीक्षण" शब्द कानून में वर्णित नहीं है।
- धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग की विशेष पुनरीक्षण की शक्ति केवल निर्वाचन क्षेत्रों या उनके कुछ हिस्सों तक सीमित है, न कि पूरे राज्यों तक।
- इसलिए, बिहार का SIR कानूनी रूप से सीमा से बाहर हो सकता है।

4.4 मतदाता पंजीकरण नियम, 1960

- नियम 8: नागरिकों को अपनी क्षमता के अनुसार जानकारी प्रदान करनी चाहिए — इसका मतलब है कि दस्तावेज़ों की कमी केवल अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकती है।
- चुनाव पंजीकरण अधिकारी आवेदन को केवल "सुरक्षित" दस्तावेज़ों की कमी के आधार पर तत्काल अस्वीकृत नहीं कर सकते हैं।

5. व्यापक लोकतांत्रिक और संवैधानिक चिंताएं

5.1 प्रमाण का बोझ स्थानांतरित करना

- पात्रता साबित करने की जिम्मेदारी नागरिकों पर डाली जा रही है, जिससे " दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष " के सिद्धांत को पलट दिया रहा है।

5.2 एक वंचित वर्ग का निर्माण

- लाखों वास्तविक भारतीय नागरिक अपने मतदान अधिकारों से वंचित हो सकते हैं, लेकिन कागज पर नागरिक बने रहेंगे — इससे भारत के भीतर "राज्यहीन मतदाता" का एक दूसरा वर्ग पैदा हो सकता है।

5.3 चयनात्मक मताधिकार: एक पीछे कदम

- भारत ने अपने लोकतंत्र के पहले दिन से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया, जबकि अन्य देशों में हाशिए पर रहने वाले समूहों को दशकों तक इसके लिए संघर्ष करना पड़ा।
- मतदान अधिकारों को जटिल दस्तावेजों से जोड़कर, SIR इस धरोहर को कमजोर करता है।

6. अगर यह मिसाल कायम होती है तो संभावित परिणाम

- यदि बिहार का SIR राष्ट्रीय ढांचे के रूप में अपनाया जाता है, तो समान वंचना पूरे भारत में फैल सकती है।
- हाशिए पर रहने वाले समूह—दलित, OBC, आदिवासी, मुस्लिम और गरीब—सिस्टम से बाहर हो सकते हैं।
- यह चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विश्वास को नष्ट कर सकता है और भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को क्षति पहुंचा सकता है।

7. आगे की राह

निर्वाचन आयोग को चाहिए की :

- संविधान और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की भावना का सम्मान करें।
- व्यापक रूप से स्वीकृत दस्तावेज़ जैसे आधार और मौजूदा वोटर कार्ड स्वीकार करें।
- सभी नागरिकों की समावेशी मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित करें, विशेष रूप से कमजोर और प्रवासी समुदायों के लिए।
- कानून द्वारा निर्धारित जनवरी 1 के योग्यता दिनांक का सम्मान करें।

सुप्रीम कोर्ट को चाहिए:

- यह जांचें कि क्या बिहार का SIR संविधान द्वारा दिए गए सार्वभौमिक मताधिकार और ECI की शक्तियों की सीमाओं का उल्लंघन करता है।

राजनीतिक दलों और नागरिक समाज को चाहिए:

- सभी नागरिकों के मताधिकार की रक्षा करें।
- ECI से जवाबदेही की मांग करें।

निष्कर्ष:

- बिहार का SIR विवाद भारत के चुनावी लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। जबकि मुक्त और निष्पक्ष चुनावों के लिए सटीक चुनावी सूची आवश्यक है, प्रक्रिया को मतदान अधिकारों की समावेशिता और सार्वभौमिकता से समझौता नहीं करना चाहिए। चुनाव आयोग की शक्तियाँ, हालांकि विशाल हैं, लेकिन ये संविधान और कानून के शासन के अधीन हैं।

UPSC मेन्स पिछले साल के प्रश्न (PYQs) – चुनाव और चुनावी कानून

- 1. भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने 2016 में चुनाव सुधारों का प्रस्ताव दिया था। इन प्रस्तावित सुधारों के बारे में बताइए और ये लोकतंत्र को सफल बनाने में कितने महत्वपूर्ण हैं? (2017)

- 2. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVMs) के उपयोग को लेकर हाल की विवादों के मद्देनजर, भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनावों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए कौन-कौन सी चुनौतियां हैं? (2018)

- 3. किस आधार पर एक जनप्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व के लोग अधिनियम, 1951 के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है? ऐसे व्यक्ति के लिए अयोग्यता के खिलाफ कौन-कौन से उपाय उपलब्ध हैं? (2019)

- 4. प्रतिनिधित्व के लोग अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों के अयोग्यता की प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। इस पर टिप्पणी करें। (2020)

- 5. प्रतिनिधित्व के लोग अधिनियम, 1951 के तहत एक जनप्रतिनिधि को अयोग्य ठहराने की प्रक्रिया और कारणों पर चर्चा करें। ऐसे व्यक्ति के लिए अयोग्यता के खिलाफ उपायों को भी स्पष्ट करें। (2022)

- 6. भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में भारतीय चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। वर्तमान समय में आयोग द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। (2023)

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: (2023)

- 1. भारतीय चुनाव आयोग एक पांच सदस्यीय निकाय है।
- 2. केंद्रीय गृह मंत्रालय सामान्य चुनावों और उपचुनावों के लिए चुनाव की तिथि निर्धारित करता है।
- 3. भारतीय चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन/विलय से संबंधित विवादों का निपटान करता है।

उपरोक्त में से कौन से/कौन से कथन सही हैं?

- (a) 1 और 2 केवल
- (b) 2 केवल
- (c) 2 और 3 केवल
- (d) 3 केवल

उत्तर: (d)